बिहार सरकार

योजना एव विकास विभाग

(अर्थ एव साख्यिकी निदेशालय)

का०आ०स०–स्था०1/आ०2–37/2015 392 पटना, दिनाक 04.12.17

कार्यालय आदेश

श्री गणेश प्रसाद, तत्कालीन प्रखड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मोदनगंज, जहानाबाद सम्प्रति प्रखड साख्यिकी पर्यवेक्षक, डगरूआ प्रखड, पूर्णियॉ के विरूद्ध जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद के पत्राक 1758 दिनांक 09 11 2015 द्वारा अधिप्राप्ति वर्ष 2012–13 मे गेहूँ अधिप्राप्ति में गबन से सबधित आरोपो के लिए निदेशालय के का०आ०स० 301 ज्ञापाक 1983 दिनांक 21 12 2015 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच) जहानाबाद को सचालन पदाधिकारी तथा जिला साख्यिकी पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया । प्रपत्र 'क' मे श्री गणेश प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप मे निम्नांकित आरोप लगाये गये है :–

2. **आरोप संख्या–(1)** इनके द्वारा अधिप्राप्ति वर्ष 2012–13 में 2304 50 क्वी गेहूँ राज्य खाद्य निगम के पक्ष मे क्रय किया गया था। परन्तु इनके द्वारा गेहूँ निर्गत के समय उक्त वर्ष 2273 81 क्वी० गेहूँ की भा०खा०नि० एव निलामी प्राप्त करने वाले को उपलब्ध कराया गया। इनके प्रभार में निगम का कुल 30 69 क्वीं० गेहूँ बकाया रह गया है जिसका मूल्य 1426 04 रू० प्रति क्वीं० की दर से कुल 43765.16 (तैतालीस हजार सात सौ पैसठ रूपये सोलह पैसे) गबन का आरोप बनता है।

आरोप संख्या–(2) इनके द्वारा निगम के जिला कार्यालय में भारतीय स्टेट बैंक, जहानाबाद के ड्राफ्ट स० 178046 दिनाक 15 04 2015 के द्वारा कुल 43900 (तैतालीस हजार नौ सौ) रू० मूल राशि के रूप मे जमा किया गया है।

आरोप संख्या–(3) इस प्रकार इन पर गबन के साथ–साथ ससमय राशि नहीं जमा करने का आरोप बनता है।

3 सचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण एवं जिला प्रबधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद के मंतव्य प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त निम्न प्रतिवेदन दिया गया –

" आरोपी का कहना है कि गेहूँ की पूर्णत निलामी की गई है। जिला प्रबधक द्वारा निर्गत भंडार निर्गमादेश की प्रति के अनुसार 2304 50 (दो हजार तीन सौ चार क्वींटल पच्चास किलो) हनुमान ट्रेडर्स प्रा०लि० फेजर रोड, पटना के सचालक श्री मुन्ना कुमार को दिनाक 05 03 2013 को निलाम किया गया है जिसे गेहूँ क्रय केन्द्र प्रभारी श्री गणेश प्रसाद द्वारा क्रमश दिनाक 10.03.2013, 12.03 2013 एव 13 03 2013 को 2273 81 क्वीटल गेहूँ गोदाम से निर्गत कर उपलब्ध कराया गया है। आरोपी का यह कहना कि बिहार राज्य खाद्य निगम, रामपुर चरूई (मोदनगंज) का गोदाम का पश्चिमी भाग जर्जर अवस्था में था तथा निगम द्वारा कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं किया गया। परन्तु इस सबध मे आरोपी द्वारा जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम को कोई सूचना वरीय प्रभारी तथा जिला स्तरीय पदाधिकारी को नही दिया गया है। आरोपी द्वारा अपने कारण–पृच्छा में उल्लेखित विन्दुओ की पुष्टि मे जिला के वरीय पदाधिकारियो एव प्रबंधक को प्रतिवेदन से स्थितियो को अवगत कराना चाहिए था जो नहीं किया गया है। निदेशक, योजना एव विकास विभाग (अर्थ एव साख्यिकी निदेशालय)

आरोप पत्र मे भारतीय स्टेट , जहानाबाद के ड्राफ्ट स० 178046 दिनाक 15 04 2015 को उल्लेख है जिसके द्वारा आरोपी ने गबन किए गए 43765 16 रू० की जगह 43900.00 (तैंतालीस हजार नौ सौ) रू० मूल राशि के रूप मे जमा कर दिया है। आरोपी द्वारा जमा की गयी राशि से स्पष्टतः आरोपी उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपो की स्वीकारोक्ति से इकार नहीं किया जा सकता है।

अत उपर्युक्त परिप्रेक्ष्यो मे आरोपी पर लगाए गए आरोप प्रथमत उनकी स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रमाणित होता है।"

4. सचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने का समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक 819 दिनांक 27.04.2017 द्वारा श्री गणेश प्रसाद से अभ्यावेदन की मॉग की गयी। इसके आलोक मे श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन 16.06.2017 से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उन्ही तथ्यो को दिया गया है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को दिया गया था। श्री प्रसाद द्वारा गबन की गयी गेहूँ को स्वीकार करते हुए दिनाक 15 04 2015 को उसकी राशि 43765 16 (तैंतालीस हजार सात सौ पैसठ रूपया सोलह पैसे) की जगह 43900.00 (तैंतालीस हजार नौ सौ) रूपये को डिमाड ड्राफ्ट सख्या 178046 द्वारा जमा किया गया है।

5. उपर्युक्त तथ्यो से स्पष्ट होता है कि श्री गणेश प्रसाद पर 30 69 क्विटल गेहूँ जिसका मूल्य प्रति क्विंटल 1426 04 रूपये की दर से 43765 16 (तैंतालीस हजार सात सौ पैसठ रूपये सोलह पैसे) होता है, का गबन करने का आरोप प्रमाणित होता है।

6 अतः श्री गणेश प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड साख्यिकी पर्यवेक्षक, मोदनगंज, जहानाबाद सम्प्रति प्रखड साख्यिकी पर्यवेक्षक, डगरूआ प्रखंड, पूर्णियॉ पर गबन का उक्त आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप उनपर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली 2005, के नियम 14(vi) के तहत सचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने का दड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह०/–

(पूनम)

निदेशक

ज्ञापाक–स्था०1/आ०2–37/2015 2701 पटना, दिनाक :– 04.12.17

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना।

2 जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/पूर्णियॉ।

3 जिला साख्यिकी पदाधिकारी, जहानाबाद/पूर्णियॉ।

4. प्रखड विकास पदाधिकारी, मोदनगज, जहानाबाद।

5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6 श्री गणेश प्रसाद, प्रखड सख्यिकी पर्यवेक्षक, डगरूआ प्रखंड, पूर्णियॉ

को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक